वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, जागरूक एक्सप्रेस, जनवार्ता, न्यायाधीश ,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 07.08.2025

बेसमेंट खाली कराकर पार्किंग की व्यवस्था कराएं

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को प्राधिकरण के सभागार में बैठक की। इस दौरान लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा की। सील प्रकरणों की जांच, बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग सुनिश्चित कराएं। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। एक सप्ताह में वार्ड शिवपुर, सिकरौल में शमन शुल्क के मद में 26,69,064 रुपये जमा कराए गए हैं। इन वार्डों में वित्तीय वर्ष में अब तक कुल शमन धनराशि 2,93,88,877 जमा कराई गई। सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में 7,82,410 रुपये जमा कराए गए। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल शमन धनराशि 2,26,21,243 जमा कराए गए। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 07.08.2025

वीडीए ने एक पेट्रोल पंप और 2 भवन किए सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को सारनाथ वार्ड के तीन अवैध निर्माण को सील किया गया। अल्लोपुर में सुनील कुमार सोनकर की ओर से अवैध निर्माण कराने पर पेट्रोल पंप सील किया गया। गोइठहां लालपुर के राहुल मिश्रा की ओर से 180 वर्ग मीटर अवैध निर्माण कराने पर भवन सील किया गया। भक्तिनगर कॉलोनी में आरके यादव की ओर से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए ढलाई कराने पर भवन सील कर दिया गया। जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश और अवर अभियंता विनोद कुमार की देखरेख में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 07.08.2025

पेट्रोल पंप समेत दो अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को सारनाथ में अवैध रूप से पेट्रोल पंप का निर्माण किया गया था। गोइठहां में अवैध निर्माण, भक्तिनगर कॉलोनी के लेन 5 में दो मंजिल भवन सील किया गया।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 07.08.2025

वीडीए में हुई समीक्षा बैठक

वाराणसी (जागरुक एक्सप्रेस)। उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में बुधवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत 28.07.2025 से 03.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 26,69,064.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-2,93,88,877.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत 28.07.2025 से 03.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 7,82,410.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-2,26,21,243.00 जमा कराया गया है।

जनवार्ता–दि0 07.08.2025

वीडीए की सख्ती: सारनाथ में पेट्रोलपंप के साथ तीन अवैध निर्माण किये सील

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को जोन-2, वार्ड-सारनाथ क्षेत्र में तीन अवैध निर्माणों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत सुनील कुमार सोनकर द्वारा मौजा अल्लोपुर में आराजी संख्या 374 व 375 पर बनाए जा रहे पेट्रोल पंप को सील किया गया। वहीं, राहुल मिश्रा द्वारा मौजा गोईठहां, थाना लालपुर में लगभग 180 वर्ग मीटर में किए जा रहे भूतल निर्माण को सील किया गया। इसके अलावा आर.के. यादव द्वारा भक्तिनगर कॉलोनी, लेन-5 में बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाए गए जी+1 भवन को भी सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार, प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

न्यायाधीश–दि0 07.08.2025

वाविप्रा अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गई

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में 06.08.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 28.07.2025 से दिनांक 03.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 26,69,064.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-2,93,88,877.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 28.07.2025 से दिनांक 03.08.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 7,82,410.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-2,26,21,243.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कायी के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, श्रीमती वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री विनोद कुमार यादव एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।